न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

प्रकरण संख्या 03/20 दायरा दिनांक 20.02.2020

पीठासीन अधिकारी – श्री मुकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

1. कपूरी पुत्री घसीटा पत्नि बंशी उम्र 70 वर्ष जाति माली निवासी टांडाकाछियान हाल निवासी सहरोलतलहटी तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
2. नब्बो पुत्री घसीटा पत्नि शंकरलाल उम्र 68 वर्ष जाति माली निवासी टांडाकाछियान हाल निवासी सहरोलतलहटी तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
3. गजरी पुत्री घसीटा पत्नि हरिचरण उम्र 65 वर्ष जाति माली निवासी टांडाकाछियान हाल निवासी पुरैनी तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

– वादीगण

बनाम

1. रामसेवक पुत्र शंकरलाल जाति माली निवासी पुरेनी तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
2. कन्हैयालाल पुत्र शंकरलाल जाति माली निवासी पुरेनी तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक– 27.05.2024

उपस्थित– वादीगण की ओर से–श्री हेमराज नामदेव एडवोकेट
प्रतिवादीगण की ओर से–श्री पंकज शर्मा एडवोकेट

वाद के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम ग्राम पुरेनी तहसील शाहाबाद में आराजी खसरा नम्बर 90 रकबा 0.16 बीघा स्थित है, जिसे दावे में आगे विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है। उक्त विवादित आराजी वादीगण को अपने पिता से विरासत में प्राप्त हुई है, जो एकमात्र वादीगण के खाते तथा कब्जेकाश्त की है, जिसमें वादीगण के अलावा अन्य किसी का कोई हक व अधिकार नहीं है। उक्त विवादित भूमि किस्म खेडा 2 के रूप में दर्ज है, जिसके चारों ओर वर्तमान में ग्राम पुरेनी की आबादी बसती जा रही है, इस कारण उक्त भूमि वर्तमान में पहले से अधिक कीमती हो गई है। वादीगण के पिता व मां की मृत्यु हो चुकी है तथा वादीगण के कोई भाई नहीं है, वादीगण विवाहित होकर वर्तमान में अपनी अपनी ससुराल में निवास कर रही हैं, इस बात का नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादीगण जबरन वादीगण के खाते व कब्जे काश्त की विवादित आराजी पर कब्जा करना चाहते हैं, इसी ध्येय से प्रतिवादीगण ने दिनांक 10.02.2020 को वादीगण की उक्त आराजी में करीब 3–4 ट्रोली पत्थर तथा 2 ट्रोली बजरी डाल दी है, जिसका पता लगने पर दूसरे दिन ही वादीगण ग्राम पुरेनी पहुंची और प्रतिवादीगण से कहा कि आपने बिना हमारी अनुमति के हमारे खाते की उक्त भूमि पर पत्थर व बजरी कैसे डाल दी, तो प्रतिवादीगण ने

27.05.2024
उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

धमकी दी कि वे वादीगण की उक्त भूमि पर मकान निर्माण करेंगे, वादीगण को दिखे जो कर लें। इस प्रकार प्रतिवादीगण जबरन वादीगण के खाते की उक्त विवादित आराजी पर अवैध निर्माण कर कब्जा करने को आमादा हो रहे हैं, जिसका प्रतिवादीगण को कोई हक व अधिकार नहीं है। अतः वाद पेश कर श्रीमान से प्रार्थना है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादीगण के खाते व कब्जे काश्त की विवादित आराजी खसरा नम्बर 90 रकबा 0.16 बीघा ग्राम पुरेनी तहसील शाहाबाद पर किसी भी प्रकार का कोई निर्माण नहीं करें और ना ही वादीगण के खाते तथा स्वतंत्र कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी करें।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी की गई। प्रतिवादीगण द्वारा जबाव दावा पेश किया गया कि उक्त आराजी ग्राम पुरेनी आबादी बस्ती है, जिसमें प्रतिवादीगण का जन्म से ही पुश्तेनी मकान बना हुआ है तथा प्रतिवादीगण का कब्जा चला आ रहा है, उक्त भूमि पर वादीगण का कब्जा नहीं रहा है ना ही काश्त की है। वादीगण जबरन प्रतिवादीगण को परेशान करती है और झूठा मुकदमा दर्ज कराती है। वादीगण ने पूर्व में भी प्रतिवादीगण के विरूद्व 447 आई.पी.सी. का मुकदमा नंबर 428/14 दर्ज कराया था, जिसमें प्रतिवादीगण को वरी कर दिया गया है और उक्त प्रकरण में वादीगण ने प्रतिवादीगण का कब्जा अपने बयानो में बताया है। अतः वाद निरस्त फरमाया जावे। दावा तथा जबावदावा के आधार पर निम्न तनकी कायम की गई–

1. आया ग्राम पुरेनी तहसील शाहावाद में वादीगण को अपने पिता से विरासत में प्राप्त खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा संख्या 90 रकबा 0.16 बीघा स्थित है, जिस पर प्रतिवादीगण बिना किसी हक व अधिकार के कब्जा करना चाहते हैं। इस कारण वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के हकदार हैं ?
2. आया उक्त भूमि ग्राम पुरेनी आबादी वस्ती में है, जिस पर प्रतिवादीगण का कब्जा चला आ रहा है, उक्त भूमि पर वादीगण का कंभी कब्जा नहीं रहा है, इस कारण वाद निरस्त किया जावे ?

वदीगण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य अन्तर्गत वादी कपूरी के बयान कराये गये तथा जमाबन्दी ग्राम पुरेनी सम्वत 2073 से 76 प्रदर्श 1, नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श 2, नकल खसरा गिरदावरी प्रदर्श 3 पेश किये। प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य हेतु प्रतिवादी कन्हैयालाल का शपथपत्र पेश किया, परन्तु दिनांक 05.01.24 को प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय सुनवाई के आदेश पारित किये गये। वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है –

तनकी नंबर 1 – प्रस्तुत जमाबंदी प्रदर्श 1 में विवादित भूमि खसरा संख्या 90 रकबा 0.16 बीघा ग्राम पुरेनी वादीगण के खातदारी में दर्ज है, इसके विपरीत

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद जिला बारां

27.05.2024
उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

CamScanner

प्रतिवादीगण का कथन है कि विवादित भूमि पर उनका पुश्तेनी कब्जा है, परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा कब्जे के संदर्भ में कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है। विवादित भूमि वादीगण के रिकार्डेड खातेदारी की है, जिसमें प्रतिवादीगण किसी भी प्रकार का कोई हक स्थापित करने में विफल रहे हैं। अतः यह तनकी वादीगण के हक में निर्णीत की जाती है।

तनकी नंबर 2 – विवादित भूमि प्रदर्श 1 जमाबंदी अनुसार कृषि भूमि के रूप में दर्ज है। कोई साक्ष्य नहीं की विवादित भूमि आबादी में हो। कब्जे के संदर्भ में प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य नहीं। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णीत की जाती है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण के खाते व कब्जे काश्त की विवादित भूमि खसरा नंबर 90 रकबा 16 विस्वा ग्राम पुरेनी तहसील शाहावाद वादनी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करेंगे, न अन्य से करावेंगे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 27.05.2024 को सरे इजलास सुनाया गया। तदानुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

27.05.2024

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

CamScanner